गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी

भवदीय,

(विजय कुमार यादव)
अपर सचिव।

<u>संख्याः 1214 (1)/X-3-20/2(32)/2020, तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्र कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, युमना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
6. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner

जारी 12.10.20

प्रेषक,

संख्याः 1214 /X-3-20/2(32)/2020

विजय कुमार यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 12 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2020

विषयः जनपद देहरादून के विकास खण्ड त्यूनी के अन्तर्गत फैडान रायगी पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.059 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 15 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–590/FP/UK/WATER/41586/2019,दिनांक 27 अगस्त, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय **जनपद देहरादून के विकास खण्ड त्यूनी के अन्तर्गत फैडान रायगी पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.059 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 15 वर्षो की लीज पर** दिये जाने हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति**, भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एंव 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश जिसमें राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है, एवं भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0–11–09/98–एफ0सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या एफ0न0–11–09/98–एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं05–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की

Scanned with CamScanner